



कार्यपालक दण्डाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा-144 द०प्र०सं०

वाद संख्या 09/2021

विवादित

फिरौज खालम अंसारी

- बनाम -

अर्शाद निघाम डफ डकक

12.02.2021 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 20-02-2021 दिनांक के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि प्रथम पक्ष ① फिरौज खालम अंसारी ② 02-03-21 के रफाव खेगाम द्वितीय पक्ष ① अर्शाद निघाम डफ डकक ② 12-03-21 सख्त खेगाम 24-03-2021

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शान्ति भंग हाने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-ब्यवस्था को बनाये रखने हेतु द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 20-02-2021 तक दाखिल करें। 30-03-2021 06-04-2021 10-04-2021 12-04-2021

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
खार्ड नं० 10 नगर पंचाट चक्रधरपुर	-	102	112 (P)	15x20'	पूर्व - Mad Ashraf पश्चिम - Kulsum Bibi उत्तर - Habib दक्षिण - Ismail Anwar


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
12-02-2021

20-02-2021 अधिकृत उपलब्धित / मुख्य पत्र के सदस्य ०२ सीरिज वेगस उप-
स्थित / द्वितीय पत्र के सदस्य अनुपस्थित, अधिकृत क्रि. सं. 02-03-
21-का उपलब्धित करें।


02-03-21 अधिकृत उपलब्धित / सीरीज पत्र के सदस्य उपस्थित, पहिली
पद २ अन्य कार्य में गला अधिकृत क्रि. सं. 12-03-2021
का उपलब्धित करें।

12-03-2021 अधिकृत उपलब्धित / द्वितीय पत्र के सदस्य ०२ बरतद मिश्र उपस्थित /
मुख्य पत्र के बारे में अधिकृत द्वारा बकायतम बकायती बरतद
New date 24/3


12/3.

24-03-2021 अधिकृत उपलब्धित / मुख्य पत्र के बारे में अधिकृत द्वारा बकायतम -
बकायती बरतद / द्वितीय पत्र के सदस्य बरतद मिश्र उपस्थित राज में
कारण मुख्य अधिकृत / New date 4/9


2/12

30-03-2021 अधिकृत उपलब्धित / मुख्य पत्र के बारे में अधिकृत द्वारा बकायतम बकायती
बरतद / New date 6/9. And a white to
24 party. 
20/3.

पानिवा 1286/20
30-03-2021

06-04-2021

अधिवेशन उपलब्धित / प्रथम पत्र के बारे में अधिवेशन द्वारा सावधानी
की गई। द्वितीय पत्र के संबंध में अर्द्ध विभाग अधिवेशन /
अधिवेशन दिनांक 10-04-2021 को उपलब्धित करें।

10-04-2021

अधिवेशन उपलब्धित / प्रथम पत्र के संबंध में विरोध द्वारा सावधानी
उपलब्धित / द्वितीय पत्र के बारे में अधिवेशन द्वारा सावधानी की गई।
पंचम पत्र के संबंध में अर्द्ध अधिवेशन दिनांक 12-04-2021
को उपलब्धित करें।

12-04-2021

अधिवेशन उपलब्धित / प्रथम पत्र के बारे में अधिवेशन द्वारा सावधानी की
गई। द्वितीय पत्र के संबंध में अर्द्ध विभाग अधिवेशन / वृद्ध की कार्य-
वाहिका होने के कारण वृद्ध की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

21